141

समाहरणालय, समस्तीपुर

(जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग)

पत्रांक......74......., दिनांक ...03... / ...02... / 2020

अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक 226/ आ0 नि0 को0, दिनांक 21/01/2020 के आलोक मे डॉ0 शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त, निःशक्तता बिहार, पटना के समस्तीपुर जिला मे दिव्यांगजनो के हितार्थ आयोजित चलंत न्यायालय, लोक अदालत व अन्य से संबंधित भ्रमण कार्यक्रम की विवरणीः–

क्रम स0	तिथी	समय सारणी	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1	11/02/2020 (मंगलवार)	07:00 AM से 03:00 PM	जिला के विभिन्न प्रखंडो मे दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/ समीक्षात्मक बैठक।	(प्रखंड मुख्यालय) सरायरंजन–07:00 पूर्वा0 से 08:00 पूर्वा0/ मोरवा – 08:00 पूर्वा0 से 09:00 पूर्वा0/ ताजपुर – 09:00 पूर्वा0 से 10:00 पूर्वा0/ पूसा – 10:00 पूर्वा0 से 11:00 पूर्वा0/ कल्याणपुर – 11:00 पू0 से 12:00 पू0/ वारिसनगर – 12:00 अप0 से 01:00 अप0/ खानपुर 01:00 अप0 से 02:00 अप0/ विभुतिपुर–02:00 अप0 से 03:00 अप0/समस्तीपुर–03:00 अप0 से 04:00 अप0	सहायक निदेशक, जि0सा0सु0को0/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को0, समस्तीपुर।
		04:00 PM से	प्रेस कॉन्फ्रेन्स (इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिन्ट मिडिया के साथ) इलेक्टानिक एवं प्रिन्ट मिडिया के सभी पत्रकार	जिला अतिथिगृह सभा कक्ष	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे।/ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर।/ जिला पंचायती राज पदाधिकारी, समस्तीपुर।/ अनुमंडल पदाधिकारी सदर/जिला शिक्षा पदाधिकारी,

Scanned by CamScanner

					समस्तीपुर/ सहायक निदेशक, जि0सा0सु0को, समस्तीपुर।/
2	12/02/2020 (बुधवार)	07:00 AM से 10:00 AM	जिला के विभिन्न प्रखंडो मे दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/ समीक्षात्मक बैठक।	(प्रखंड मुख्यालय) पटोरी – 07:00 पूर्वा0 से 08:00 पूर्वा0/ मोहनपुर – 08:00 पूर्वा0 से 09:00 पूर्वा0/ मो0 नगर– 09:00 पूर्वा0 से 10:00 पूर्वा0	सहायक निदेशक, जि0सा0सु0को0/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को0, समस्तीपुर।
3	12/02/2020 (बुधवार)	10:00 AM से 12:00 PM	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनो की स्थिती तथा प्रगति की समीक्षा) 1- उप विकास आयुक्त, समस्त्तीुपर। 2- जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर। 3- उप समाहर्त्ता प्रभारी बैकिंग, समस्तीपुर। 4- उप पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर। 5- अपर समाहर्ता, समस्तीपुर। 6- अनुमण्डल पदाधिकारी, (समस्तीपुर सदर, दलसिंहसराय, रोसड़ा एवं पटोरी)। 7- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर। 8- असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर। 9- श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर। 10- अपर समाहर्त्ता जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्तीपुर। 11- जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी, समस्तीपुर। 12- जिला पशुपालन पदाधिकारी,	समाहरणालय सभागार	उप विकास आयुक्त/ अपर जिलाधिकारी/ उप समहर्त्ता।

Scanned by CamScanner

			समस्तीपुर। 13- डी0 आर0 डी0 ए0, समस्तीपुर। 14- जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, समसतीपुर। 15- जिला नियोजन पदाधिकारी समसतीपुर। 16- कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल एवं पथ प्रमंडल दरभंगा। 17- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा अभियान) समसतीपुर। 18- जिला कल्याण पदाधिकारी, समसतीपुर। 19- जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर। 20- सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर। 21- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर। 22- जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर। 23- जिला अभियंता जिला परिषद, समस्तीपुर। 24- जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर। 25- जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर। 26- जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, समस्तीपुर। 27- जिला खेल–कूद पदाधिकारी, समस्तीपुर। 28- जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर/ अनुमंडल लोक शिकायत		

Scanned by CamScanner

			निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर/पटोरी/दलसिंहसराय/रोसड़ा। जिला अभियंता जिला परिषद, समस्तीपुर। 29- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, समस्तीपुर एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत दलसिंहसराय/रोसड़ा। जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर। 30- जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, समस्तीपुर। 31- निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, समस्तीपुर। 32- कारा अधीक्षक, समस्तीपुर। 33- उपनिर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर। 34- भूमि सुधार उप समहर्त्ता, समस्तीपुर। 35- जिला पंचायती राज पदाधिकारी, समस्तीपुर। 36- सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई, समस्तीपुर। 37- प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, समस्तीपुर। 38- जिला कार्यक्रम प्रबंधक जीविका, समस्तीपुर। 39- जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, समस्तीपुर। 40- जिला हेड ग्रहक सेवा केन्द्र (बैंकिग सी0एस0पी0), समस्तीपुर। 41- जिला हेड वसुधा केन्द्र (सी0एस0सी0), समस्तीपुर।		

Scanned by CamScanner

			42- जिला समन्वयक मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समस्तीपुर। 43- जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास, समस्तीपुर।		
4	12/02/2020 (बुधवार)	12:00 PM से 01:00 PM	पुलिस अधीक्षक/सभी अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक एवं जिले के प्रमुख थाना प्रभारी (एस0एच0ओ0)/ विभिन्न पुलिस पदाधिकारी, के साथ बैठक।	समाहरणालय सभागार	इस बैठक के आयोजन मे पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगें। साथ सभी संबंधित को बैठक में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।
5	12/02/2020 (बुधवार)	01:00 PM से 02:00 PM	विभिन्न कॉलेज/कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानो के पदाधिकारियो के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर। 2. जिला स्थित सभी महाविधालय, के प्राचार्य/ प्रधानाध्यापक समस्तीपुर। 3. सभी आई0टी0आई0 के प्राचार्य, समस्तीपुर। 4. प्रधानाचार्य, पोलेटेकनिक कॉलेज, समस्तीपुर। 5. डी0आर0सी0सी0 (जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र), समस्तीपुर।	समाहरणालय सभागार	उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर।
6	12/02/2020 (बुधवार)	02:00 PM से 03:00 PM	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंको के प्रतिनीधि के साथ बैठक। उपस्थिति :- 1. जिला बैंकिग वरीय उप समाहर्त्ता बैंकिग, समस्तीपुर। 2. जिला अग्रणी बैंक	समाहरणालय	वरीय उप समाहर्त्ता

Scanned by CamScanner

			प्रबंधक (LDM), समस्तीपुर। 3. जिला अंतर्गत सभी बैंको के शाखा प्रबंधक	सभागार,	SDC / (LDM) बैंकिग, समस्तीपुर।
7	12 / 02 / 2020 (बुधवार)	03:00 PM से 04:00 PM तक	राष्ट्रीय न्यास अधिनिय 1999 की धारा 13(2) के तहत ऑटिजम बौद्विक दिव्यांग सेरेबल पॉल्सी एवं बहु दिव्यांग के पुर्नवास की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय लोकल लेवल कमिटी की बैटक दिव्यांजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक।	समाहरणालय सभागार,	जिला पदाधिकारी।
8	12 / 02 / 2020 (बुधवार)	04:00 PM से 05:00 PM तक	रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मॉल का निरीक्षण। उपस्थितिः– 1. स्टेशन अधीक्षक / उपाधीक्षक। 2. जिला महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, समस्तीपुर। 3. सदर अनुमण्डल पदाधिकारी। 4. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद।	रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं मॉल आदि जगहों पर	अनुमंडल पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद / कार्यपालक पदाधिकारी (E.O.) / जिला परिषद।
9	13 / 02 / 2020 (गुरुवार)	07:00 AM से 11:00 AM	जिला के विभिन्न प्रखंडो मे दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी / समीक्षात्मक बैठक।	(प्रखंड मुख्यालय) रोसड़ा –07:00 पूर्वा0 से 08:00 पूर्वा0 / सिंधिया – 08:00 पूर्वा0 से 09:00 पूर्वा0 / हसनपुर –09:00 पूर्वा0 से 10:00 पूर्वा0 / बिथान –10:00 पूर्वा0 से 11:00 पूर्वा0।	सहायक निदेशक, जि0सा0सु0को0 / दिव्यांगजन सशक्तिकरण को0, समस्तीपुर।
10	13 / 02 / 2020 (गुरुवार)	11:00 AM से 01:00 PM	जनप्रतिनिधियों / पंचायत प्रतिनिधि / बोर्ड प्रतिनिधि / सिविल सोसाईटी / समाज सेवी के साथ बैठक। उपस्थिति– 1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर	टाउन हॉल,	उप विकास आयुक्त / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / कार्यपालक

Scanned by CamScanner

			निगम। 2. नगर परिषद जिला अन्तर्गत सभी पार्षद। 3. प्रखंडो के प्रमुख के साथ। 4. प्रमुख पंचायत प्रतिनिधियों के साथ। 5. दिव्यांगता के क्षेत्र मे काम करने वाले सभी NGOs के प्रतिनिधि।	समस्तीपुर	पदाधिकारी/ नगर परिषद अध्यक्ष एवं सदस्य/ जिला परिषद अध्यक्ष एवं सदस्य/ उधोग पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उधोग केन्द्र, समस्तीपुर।
11	13/02/2020 (गुरुवार)	02:00 PM से 03:00 PM	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला तथा प्रखंड स्तर के प्रमुख, शिक्षा अधिकारी तथा प्राईवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ बैठक (एडभोकेसी बैठक) उपस्थिति– 1. जिला शिक्षा पदाधिकारी। 2. कार्यक्रम पदाधिकारियों, शिक्षा समस्तीपुर। 3. प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों। 4. प्राईवेट विधालयों के निदेशक, प्रधानाध्यापक/ प्राचार्य समस्तीपुर।	समाहरणालय सभागार।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर।
12	13/02/2020 (गुरुवार)	03:00 PM से 04:00 PM	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंडो मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों/ जिला में दिव्यांगता प्रमाणीकरण के सदस्य (बोर्ड मेम्बर) तथा प्रपत्रों एवं रजिस्टर मेन्टन हेतु पी0 एच0 सी0 स्तर के कलर्क/ सहायक के साथ बैठक।	सदर अस्पताल, समस्तीपुर।	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/ SDC (स्वास्थ्य सेवा)
13	13/02/2020 (गुरुवार)	04:00 PM से 05:00 PM	जिला आई0 सी0 डी0 एस0 के प्रोग्राम पदाधिकारी, सी0 डी0 पी0 ओ0 एवं महिला सुपरवाईजरों के साथ बैठक एवं स्थानीय सेविका।	चलन्त न्यायालय के आयोजन स्थल पर। (डी0 आर0 सी0 सी0, जितवारपुर, समस्तीपुर।)	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS)
			विकास मित्र, न्याय मित्र, समावेशी शिक्षकों एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 भी0 के भोलेन्टीयर्स के साथ चलन्त न्यायालय की		जिला एवं सत्र न्यायधीश, समस्तीपुर/ अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, समस्तुीपर/ जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सचिव,

Scanned by CamScanner

12A

			तैयारी हेतु बैठक।		जिला विधिक सेवा प्राधिकार/ जिला पंचायती राज पदाधिकारी।
14	14/02/2020 (शुकवार)	07:00 AM से 10:00 AM	जिला के विभिन्न प्रखंडो मे दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/ समीक्षात्मक बैठक।	(प्रखंड मुख्यालय) उजियारपुर –07:00 पूर्वा0 से 08:00 पूर्वा0/ दलसिंहसराय – 08:00 पूर्वा0 से 09:00 पूर्वा0/ विधापती नगर –09:00 पूर्वा0 से 10:00 पूर्वा0	सहायक निदेशक, जि0सा0सु0को0/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को0, समस्तीपुर।
15	14/02/2020 (शुकवार)	10:00 AM से 07:00 PM (अंतिम निष्पादन तक)	दिव्यांजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)	(डी0 आर0 सी0 सी0, जितवारपुर, समस्तीपुर।)	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/ उप विकास आयुक्त/ सहायक निदेशक, जि0सा0सु0को0, समस्तीपुर/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को0, समस्तीपुर।

राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यकम की विस्तृत विवरणी

दिव्यांजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80(ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःषक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और इन विषयों के सम्बंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित पदाधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इस कार्य दायित्व के निर्वहन के लिए अधिनियम की धारा–82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ होगी, जो सिविल प्रक्रिया सहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी न्यायालय में निहित होती है। दिव्यांगजनो अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 अधिसूचित किया जा चुका है। उक्त अधिनियम/नियमावली में निहित शर्तो के अधीन नवनियुक्त राज्य आयुक्त निःशक्तता, डॉ0 शिवाजी कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उल्लेखनीय है कि बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम–28(1) के अनुसार राज्य आयुक्त निःषक्तता, बिहार राज्य सरकार के सचीव के पदाधिकारी है।

समीक्षात्मक बैठक में निम्न विभागों/कार्यालयों/निदेशालयों/ के पदाधिकारीगण को उपस्थित रहने हेतु निदेश दिया जाता है तथा चलन्त न्यायालय में भी उपस्थित रहने का निदेश दिया जाता है–

1. **उप विकास आयुक्तः–** इन्दिरा आवास एवं अन्य विकास योजनाओं में निःशक्तजनों की सहभागिता, लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ उपलब्ध कराऐं तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–37 की कंडिका– (क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यकमों में जैसे कृषि, भूमि और आवासन के आवंटन, सभी निर्धनता उपशमन, विभिन्न विकासशील स्कीमों, रियायति दर पर भूमि का आवंटन उपजीविका के गठन, कारबार, उधम, अमोद–प्रमोद केन्द्रों, उत्पाद केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण

Scanned by CamScanner

का लाभ दिये जाने से सम्बन्धित पिछले तीन वर्षो की सूची निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।

2. **अपर समाहर्त्ता**:– निःशक्तजनों को की गई भूमि बन्दोवस्ती/ वितरण लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
3. **सभी अनुमंडल पदाधिकारी**:– अपने अनुमंडल के लिए दिव्यांजनों के मामलों में नोडल पदाधिकारी किये गये है एवं आयोजित चलन्त न्यायालय में समीक्षा बैठक एवं दिव्यांगजनों से संबंधित कृत कार्रवाई के अभिलेख के साथ (तीन वर्षो) निश्चित रुप से उक्त न्यायालय में उपस्थित हो तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
4. **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी**:– अपने साथ डी0पी0एम0 (राज्य स्वास्थ्य समिति), जिला अस्पताल प्रबंधक एवं दिव्यांगता प्रमाणीकरण इंचार्ज को भी उपस्थिति रहने हेतु निदेशित किया जाता है–
   (क) विकलांगता प्रमाण–पत्र (21 प्रकार की दिव्यांगता) प्रगति लाभान्वितों की तीन वर्षों की सूची निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
   (ख) समीक्षा बैठक के अवसर पर प्रखंड कार्यालय में निःशक्तजनों को आवश्यकतनुसार निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रदत्त करने के लिए प्रखंड कार्यालय में चलंत मेडिकल बोर्ड का आयोजन सुनिश्चित करेंगें।
   (ग) सदर अस्पताल का निरीक्षण– निःशक्तजनों के लिए प्रदत्त सुविधाओं का सदर अस्पताल में आयुक्त महोदय का निरीक्षण सुनिश्चित करें।
   (घ) UDID Cards की स्थिति पर समीक्षा।
   (ङ) सदर अस्पताल एवं जिला अस्पताल का निरीक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगें।
5. **उप पुलिस अधीक्षक (समस्तीपुर सदर, दलसिंहसराय, रोसड़ा एवं पटोरी)**:– विगत तीन वर्षो का दिव्यांगजनों को आपके विभाग द्वारा दी जाने वाली विशेष सुविधा से संबंधित सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
6. **श्रम अधीक्षकः**– जिले में कुशल एवं अकुशल श्रमिकों में कितने प्रतिशत दिव्यांगजन है। एतद संबंधी तीन वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
7. **वरीय उप समाहर्त्ता, जिला आपदा प्रबंधन/ प्राधिकरणः**– जिले मे आपदा के समय दिव्यांगजनों को क्या–क्या सहायता प्रदान की जाती है तथा कितने दिव्यांगजनों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत प्रदान की गई है, में से सम्बंधित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
8. **जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी**:– विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से संबंधित तीन वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
9. **जिला पशुपालन पदाधिकारी**:– विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से संबंधित तीन वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
10. **डी0आर0डी0ए0**:– विभाग द्वारा संचालित योजनाओं प्रदत्त लाभों से संबंधित तीन वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
11. **जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी**:– जिले में जो सहयोग समितियाँ कार्यरत है, उनमें दिव्यागों का कितना प्रतिशत भागीदारी है। एतद संबंधी तीन वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
12. **जिला नियोजन पदाधिकारी**:– जिले में बेरोजगार द्वारा जो इनराल्मेंट किया गया है, उनमें कितने प्रतिशत दिव्यांग का इनराल्मेन्ट किया गया है, तथा कितने को रोजगार मुहैया कराया गया है। एतद संबंधीत तीन वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
13. **कार्यपालक अभियंता, भवन विभाग/ पथ निर्माणः**–
   (क) रैम्प्स निर्माण लिफ्ट, टॉयलेट एवं आवश्यक प्रावधान आदि।
   (ख) बाधामुक्त वातावरण (Barrier free enviornment) आदि।
   सभी सरकारी भवनों/कार्यालयों एवं आवासों में दिव्यांगजनों हेतु रैम्प्स, लिफ्ट, टॉयलेट एवं आवश्यक प्रावधान से संबंधित तीन वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
   (ग) सड़कों पर जेब्रा क्रासिंग चिन्हित करना एवं दिव्यांगों हेतु अन्य यातायात चिन्हों को अंकित करना आदि।
14. **जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा अभियान)**:– विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची प्रखंडवार एवं सभी कार्यरत संसाधन शिक्षकों का लिस्ट एव स्कूलवार दिव्यांगजनों की सूची तथा वित्तीय वर्ष का

Scanned by CamScanner

भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित कार्यक्रम के बैठक मे लाना सुनिश्चित करेंगें साथ ही जिले के प्रत्येक प्रखंड में अनुमंडल समावेशी शिक्षा की सूची, स्कूल का नाम, कार्यरत शिक्षक व विशेष शिक्षकों की सूची एवं आवश्यक उपलब्ध संसाधनों की सूची भी निर्धारित कार्यक्रम के बैठक मे लाना सुनिश्चित करेंगें।

15. **जिला कल्याण पदाधिकारीः–** प्रखंडवार विकलांग छात्रवृति से संबंधित लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित कार्यक्रम के बैठक मे लाना सुनिश्चित करेंगें

16. **जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षकः–**

(क) शिक्षक नियुक्ति में निःशक्त अभ्यर्थियों की प्रखंडवार रिक्ति एव नियुक्ति स्कूल भवनों मे रैम्प, छात्रवृति नामांकन तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित कार्यक्रम के बैठक मे लाना सुनिश्चित करेंगें।

(ख) शिक्षा विभाग का यह भी दायित्व है कि विकलांग छात्र–छात्राओं के लिए समेकित शिक्षा/ विशेष विध्यालयों की स्थापना/व्यवसायिक प्रशिक्षण/ अनौपचारीक शिक्षा/ निःशुल्क उपस्कर शिक्षा सामग्री शिक्षण सामग्री विकास हेतु डिजायन का अनुसंधान/ विशेष शिक्षक प्रशिक्षण विध्यालय की स्थापना/ निःशक्त छात्रों के लिए शिक्षा योजना तैयार करना/छात्रों को परिवहन की सुविधा/छात्रों के अभिभवाकों को वित्तीय सहायता/वृतिका युक्त प्रशिक्षण/ नेत्रहीन छात्रों के लिए परीक्षा पद्वति में संशोधन/ सभी शिक्षण संसथाएँ नेत्रहीन छात्रों या कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए लेखकों की व्यवस्था करेगी। वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित कार्यक्रम के बैठक मे लाना सुनिश्चित करेंगें

(ग) प्राथमिक उच्च एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्ति हेतु संबंधित विध्यालयों एवं महाविध्यालयों में नामांकित दिव्यांग छात्रों की सूची निर्धारित कार्यक्रम के बैठक मे लाना सुनिश्चित करेंगें

(घ) निजी व सरकार द्वारा वित्तपोषित विध्यालयों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ।

17. **सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/ जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांगः–**

(क) मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना/ निःशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इन्दिरा गाँधी मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना, स्वचालित वाहन उपलब्ध कराने संबंधी योजना, अनियोजना भत्ता एवं अनुकम्पा पर नियुक्ति संबंधित मामलों में निःशक्तजनों की स्थिति, **UDID Cad** से लाभान्वित निःशक्तजनों की सूची, प्रगति प्रतिवेदन एव एतद संबंधी तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें। जिला मुख्यालय स्थित विशेष विधालय, बालगृहों/ आवास गृहों का निरीक्षण करने की व्यवस्था की जाए।

18. **जिला आपूर्ति पदाधिकारीः–**

(क) कुल स्वीकृत एवं कार्यरत जनवितरण विक्रेताओं की संख्या में निःशक्तजनों की स्थिति की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।

(ख) जनवितरण प्रणाली द्वारा प्रखण्डवार लाभान्वित निःशक्तजनों की संख्या।

19. **जिला परिवहन पदाधिकारीः–** परिवहन के मामले में निःशक्तजनों के लिए क्या–क्या सुविधएँ दी गई है एवं भविष्य मे क्या योजनाएँ है तथा दिव्यांगजनों को ड्राइविंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने का विवरण तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें। (एम0भी0आई0 को भी मीटिंग में साथ लायें।)

20. **जिला अभियंता, जिला परिषदः–** आपके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में निःशक्तजनों की सहभागिता एवं लाभान्वितों की तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें एवं जिले मे दिव्यांगजना के लिए सड़क, शौचालय एवं भवनों का सुगम्य बनाना।

21. **जिला जनसंपर्क पदाधिकारीः–** निःशक्तजनों के लिए जिला समाहरणालय में चलन्त न्यायालय का प्रचार–प्रसार अपने स्तर से करने की कृपा की जाय तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें। प्रखंड स्तर तक दिव्यांगजनों के लिए बिहार सरकार एवं भारत सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार कराएँ।

22. **जिला कृषि पदाधिकारीः–** जिले में खाद्य, बिज आदि वितरण में दिव्यांजनों के भागीदारी के संबंध में सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।

23. **जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारीः–** दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा से पीड़ित दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सहाय राशि की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।

Scanned by CamScanner

24. **जिला खेल–कूद पदाधिकारीः–** जिले में दिव्यागों के खेल–कूद से संबंधित आयोजित होने वाले कार्यक्रम मे दिव्यांगजनों की भागीदारी खेल प्रशिक्षण एवं मैदान की सुविधा से संबंधित तीन वर्षो का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
25. **जिला शिकायत निवारण पदाधिकारीः–** पिछले दो वर्षो में दिव्यांगों से संबंधित जितनी भी शिकायत का निवारण किया गया है, उसकी सूची उपलब्ध करायी जाय तथा चलन्त न्यायालय के दिन अपने कर्मियों के साथ दिव्यांगजनों की शिकायतों को रजिस्ट्रर्ड करने की व्यवस्था की जाए तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
26. **कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषदः–** कार्यपालक पदाधिकारी एक नोडल पदाधिकारी को नामित कर समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय मे उपस्थित रहने का आदेश दिया जाय एव तीन वर्षो का प्रगति प्रतिवेदन तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
27. **जिला लोक स्वास्थ्य एव अभियंत्रणः–** पिछले तीन वर्षो में दिव्यागों से संबंधित मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
28. **निदेशक जिला ग्रमीण विकास अभिकरणः–** पिछले तीन वर्षो में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों एवं योजनाओं में दिव्यांगो को मिलने वाले लाभ की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
29. **जिला प्रोग्रम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस):–** पिछले तीन वर्षो में बाल विकास परियोजनाओं में दिव्यागों से संबंधित कार्यक्रम का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी0डी0पी0ओ0) से अलग से बैठक सुनिश्चित कराएँ एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों में दिव्यांगजनों की स्थिति एव प्रगति प्रतिवेदन भी निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
30. **सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकारः–** अनुरोध है कि उक्त तीन दिनों का समीक्षात्मक बैठक एवं चलन्त न्यायालय के आयोजन में उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान करें एवं जिला में पैनल अधिवक्ता, लीगल पैरा भोलिन्टयर की सूची भी उपलब्ध कराई जाए तथा पिछले तीन वर्षो में दिव्यांगो के लिए दी गई विधिक सेवा का प्रतिवेदन दिया जाए।
31. **कारा अधीक्षकः–** समीक्षात्मक बैठक के दिन कारा गृह में बन्द दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधओं से संबंधित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
32. **उप निर्वाचन पदाधिकारीः–** समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को प्रदान किये जाने वाले लाभ से संबंधित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
33. **भूमि सुधार उपसमाहत्ता पदाधिकारीः–** समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधओं से संबंधित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
34. **वरीय उप समाहर्त्ता (SDC) जिला लीड बैंकः–** समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों के संबंध मे बैंक खाता खोले जाने, रोजगार एवं अन्य कार्यो हेतु ऋण प्रदान किये जाने एवं अन्य प्रदत्त बैंकिग सुविधाओं से संबंधित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
35. **सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाईः–** समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांग बच्चो से संबंधित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
36. **जिला पंचायती राज पदाधिकारीः–** समीक्षात्मक बैठक के दिन दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधओं से संबंधित ब्यौरा (पिछले तीन वर्षो का) निर्धारित बैठक में साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
37. **सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारीः–** अपने प्रखंड के लिए दिव्यांगजनों के मामलों में नोडल पदाधिकारी आप नामित किये गये है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–37 की कंडिका–(क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत दिव्यांगजनों को सभी सुसंगत स्कीमों और विकास कार्यक्रमों मं जैसे कृषि, भूमि और आवासन के आवंटन, सभी निर्धनता उपशमन, विभिन्न विकासशील स्कीमों, रियायतों दर पर भूमि का आवंटन उपजीविका के गठन, कारबार, उधम, आमोद–प्रमोद केन्द्रो, उत्पादन केन्द्रों के संवर्धन के प्रयोजन में पाँच प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रखंड स्तर पर दिये जाने से संबंधित पिछले तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ भी निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
38. **जिला प्रबंधक (बुनियाद केन्द्र):–** जिला में बुनियाद केन्द्र द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से संबंधित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ भी निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।

Scanned by CamScanner

39. **जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जीविका):–** जिला में जीविका द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से संबंधित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ भी निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
40. **जिला हेड, ग्रहक सेवा केन्द्र (Banking CSP):–** आपके द्वारा जिले में अबतक कितने दिव्यांगता प्रमाणीकृत दिव्यांगजनों का डाटा UDID पोर्टल पर ऑनलाइन भरा गया है, तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा UDID कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन भरा गया है से संबंधित सूची निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
41. **जिला हेड, बसुधा केन्द्र (Comman Service Centre- CSC):–** जिला में बसुधा केन्द्र द्वारा दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से संबंधित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ भी निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
42. **जिला समन्यवक मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रमीण गारंटी योजना):–** जिला में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रमीण गारंटी योजना अर्न्तगत दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से संबंधित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ भी निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।
43. **जिला समन्यवक प्रधानमंत्री आवास:–** जिला में प्रधानमंत्री आवास अर्न्तगत दिव्यांगजनों को दिये जा रहे लाभ से संबंधित तीन वर्षो की सूची तथा वित्तीय वर्ष का भावी कार्य योजनाएँ भी निर्धारित बैठक मे साथ लाना सुनिश्चित करेंगें।

<u>उपरोक्त के अलावे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से कर्त्तव्य निर्धारित किये जाते है:–</u>

1. **जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी,** समस्तीपुर दिनांक 11/02/2020 को राज्य आयुक्त नि:षक्तता के साथ जिला अतिथि–गृह सभा कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेस में जिलान्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेकट्रॉनिक मिडिया के प्रतिनिधि को भाग लेने हेतु अनुरोध–पत्र अपने स्तर से निर्गत करेंगे तथा अपनी उपस्थिति में नोडल पदाधिकारी के रुप में प्रेस कान्फ्रेन्स सम्पन्न करना सुनिष्चित करेंगे।
2. **नजारत उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर:–** भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में जिला गृह समस्तीपुर में उनके आवासन एवं भोजनादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
3. **स्थापना उप समाहर्त्ता समस्तीपुर:–**

(क) राज्य आयुक्त नि:शक्तता दिनांक 11/02/2020 से 14/02/2020 तक जिला अतिथि गृह, समस्तीपुर में रहेंगे। अत: 24 घंटे उनके साथ एक कार्यालय परिचारी की उपस्थिति अनिवार्य है। अत: स्थापना उप समाहर्त्ता के द्वारा तीन सिफटों में कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति दिनांक 11/02/2020 से 14/02/2020 तक के लिए की जायेगी।

(ख) इसके अलावे जिला अतिथि गृह समस्तीपुर में दिनांक 11/02/2020 से 14/02/2020 तक एक लिपिक, एक कार्यापालक सहायक एवं एक कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति कार्यालय अवधि में की जायेगी, जिनके द्वारा राज्य आयुक्त नि:शक्त्ता के निदेशानुसार प्रतिवेदन आदि का संग्रहण किया जायेगा।

(ग) दिनांक 14/02/2020 को चलंत न्यायालय में एक वरीय लिपिक, कम्पयूटर एवं प्रिंटर सहित कुल 06/ कार्यापालक सहायक (डिक्टेशन प्राप्त करने एवं आदेश निर्गत करने हेतु) एवं तीन कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। जिनके द्वारा चलंत न्यायालय का कार्य मे सहयोग किया जायेगा।

राज्य आयुक्त नि:शक्त्ता के लाईजेनिंग पदाधिकारी के रुप मे श्री राजेश कुमार, जिला प्रबंधक, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई–सह–बुनियाद केन्द्र, समस्तीपुर (8210490033) को राज्य आयुक्त नि:शक्तता, बिहार के समस्तीपुर जिला में आगमन से उनके प्रस्थान करने तक की अवधी के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाता है।

Scanned by CamScanner

4. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि चलंत न्यायालय में विधि व्यवस्था हेतु संयुक्त आदेश निर्गत करने की व्यवस्था की जाय।

नोटः– समस्तीपुर जिलान्तर्गत सभी कार्यालयों प्रधान चलंत न्यायालय की तिथि को ससमय चलंत न्यायालय में उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त होने वाले शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

27/01/2020

सहायक निदेशक,
जि0दि0स0को0, समस्तीपुर।

उप विकास आयुक्त,
समस्तीपुर।

जिलाधिकारी,
समस्तीपुर।

ज्ञापांक 74 /जि0दि0स0को0, दिनांक 03/02/2020

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के कियान्वयन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित। चलंत लोक अदालत के कार्यक्रम में समयानुसार भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।
2. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. समस्तीपुर जिला अन्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के पत्रकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।
4. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सचिव रेड क्रॉस सोसाईटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. उप विकास आयुक्त, समस्तुीपर/ जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर/ उप समाहर्त्ता प्रभारी बैकिंग, समस्तीपुर/ उप पुलिस अधीक्षक, (समस्तीपुर सदर, दलसिंहसराय, रोसड़ा एवं पटोरी)/ अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर/ अनुमण्डल पदाधिकारी, (समस्तीपुर सदर, दलसिंहसराय, रोसड़ा एवं पटोरी)/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर/ असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर/ श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर/ अपर समाहर्त्ता जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, समस्तीपुर/ जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी, समस्तीपुर/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर/ डी0 आर0 डी0 ए0, समस्तीपुर/ जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, समसतीपुर/ जिला नियोजन पदाधिकारी समसतीपुर/ कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल एवं पथ प्रमंडल दरभंगा/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा अभियान) समसतीपुर/ जिला कल्याण पदाधिकारी, समसतीपुर/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर/ सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला दिव्यांजन सशक्तिकरण कोषांग, समस्तीपुर/ जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर/ जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर/ जिला अभियंता जिला परिषद, समस्तीपुर/ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, समस्तीपुर/ जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर/ जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, समस्तीपुर/ जिला खेल–कूद पदाधिकारी, समस्तीपुर/ जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर/ अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, (समस्तीपुर सदर, दलसिंहसराय, रोसड़ा एवं पटोरी)/ जिला अभियंता जिला परिषद, समस्तीपुर/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, समस्तीपुर एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत (दलसिंहसराय, रोसड़ा एवं पटोरी)/ जिला कृषि पदाधिकारी, समस्तीपुर/ जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण, समस्तीपुर/ निदेशक, जिला ग्रमीण विकास अभिकरण, समस्तीपुर/ कारा अधीक्षक, समस्तीपुर/उपनिर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर/ भूमि सुधार उप समहर्त्ता, समस्तीपुर/ जिला पंचायती राज पदाधिकारी, समस्तीपुर/ सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई, समस्तीपुर/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, समस्तीपुर/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी/ जिला कार्यक्रम प्रबंधक जीविका, समस्तीपुर/

Scanned by CamScanner

1128

जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, समस्तीपुर/ जिला हेड ग्रहक सेवा केन्द्र (बैंकिग सी0एस0पी0), समस्तीपुर/ जिला हेड वसुधा केन्द्र (सी0एस0सी0), समस्तीपुर/ जिला समन्वयक मनरेगा (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है, कि पत्र में वर्णीत निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगें।

7. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0 एल0 भी0 के भोलेनटीयरस के साथ चलंत न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक के लिए समुचित कार्रवाई अपने स्तर से करने का कष्ट करें।
8. नजारत उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर एवं स्थापना उप समाहर्त्ता, समस्तीपुर को निदेश दिया जाता है कि पत्र मे वर्णित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर से पर्याप्त समन्वय करेंगे।
9. अपर समाहर्त्ता समस्तीपुर/ उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. **पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर को सूचनार्थ अनुरोध है कि अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना के लिए दिनांक–11/02/2020 को 07:00 पूर्वा0 से दिनांक 14/02/2020 तक स्कॉट अंगरक्षक एवं होम सुरक्षा के साथ–साथ दिनांक–14/02/2020 को 07:00 पूर्वा0 से अंतिम निष्पादन तक चलंत न्यायालय के स्थल पर पर्याप्त संख्या मे पुरुष कुल–30 (तीस) एवं महिला बल कुल–30 (तीस) की व्यवस्था करने का कष्ट करें।**
11. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
12. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
13. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
14. अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक निदेषक,
जि0दि0स0को0, समस्तीपुर।

उप विकास आयुक्त,
समस्तीपुर।

जिलाधिकारी,
समस्तीपुर।

Scanned by CamScanner